3

मती सायरकंवर पुत्री किशोरसिंह
नपूत निवासी ग्राम गुमानपुरा(देचू)
सीील देचू जिला जोधपुर व अन्य

बनाम

श्री रतनलाल रेगर, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां जिला जोधपुर व अन्य

ुकदमा 235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नम्बर 13 सन् 2020

ुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.21	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिंह सोलंकी उपस्थित।
अप्रार्थीपक्ष 2 ता 8, 10, 11 की ओर से अधिवक्ता श्री एल.आर. पूनीया उपस्थितं।
अप्रार्थी–9 की ओर से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह भलासरिया उपस्थित।

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र वाक्यात इस प्रकार है कि प्रार्थीपक्ष द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां न्यायालय के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 176/2015 बअनवान सायरकंवर बनाम खेतसिंह वगैरा अ/धा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम को सुनवाई के लिए अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित करने बाबत् पेश हुआ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8, 10, 11 की ओर से अधिवक्ता श्री एल.आर. पूनीया एवं अप्रार्थीपक्ष सं0–9 की ओर से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह भलासरिया उपस्थित हुए तथा इनकी ओर से जबाब पेश पेश किये। पीठासीन अधिकारी (सहायक कलक्टर औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस दिनांक 19.01.2021 को सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि विवादग्रस्त भूमि बाबत् पूर्व में वाद अ/धा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ न्यायालय में स्थगन आदेश विचाराधीन रहते हुए भी तत्कालीन

लगातार....

पीठासीन अधिकारी चुनाराम विश्नोई व प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण ने बेनामी रूप खरीद कर ली गई तथा उस दौरान उपखण्ड अधिकारी शेरगढ न्यायालय से न्याय नहीं मिलने की संभावना पर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में सुनवाई करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर बाद सुनवाई यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, औसियां न्यायालय को स्थानान्तरित किया गया। सहायक कलक्टर औसियां के न्यायालय में दिनांक 06.01.20 उसके पश्चात् 13.01.20, 15.01.20 पेशी दी गई तथां 17.01.20 को साक्षय वादी बन्द कर दी गई, इस प्रकार सुनवाई दिन प्रतिदिन उपखण्ड अधिकारी श्री रतनलाल रेगर द्वारा की जा रही है तथा उदयराम विश्नोई जो बेनामी खरीददार है हर समय पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में बैठा रहता। बहस में यह भी कहा कि एक प्रतिवादी का देहान्त होने पर उसके कायममुकाम को रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं कायममुकाम को रिकॉर्ड पर लेते हुए संशोधित वाद शीर्षक पेश करने का आदेश दिया गया। बहस में आगे कहा कि वादी की ओर से प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर औसियां को पेश करते हुए निवेदन किया गया कि न्यायालय के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नवसृजित न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट होने से पत्रावली स्थानान्तरण करने को कहा, परन्तु कोई बिना अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.2020 को निरस्त कर दिया गया।

बहस में आगे बतलाया कि जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश कमांक 13915 दिनांक 13.12.2019 द्वारा तहसील बापिणी, लोहावट, देचू क्षेत्र को मिलाकर लोहावट उपखण्ड कार्यालय का गठन होने उक्त क्षेत्र के समस्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी लोहावट न्यायालय को स्थानान्तरण किये जा चुके है तथा उक्त प्रकरण तहसील क्षेत्र देचू के अन्तर्गत आता है अतः वर्तमान पीठासीन अधिकारी औसियां को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से एवं निष्पक्ष न्याय नहीं मिलने से उक्त वाद सुनवाई

लगातार...

हेतु स्थानान्तरण किया जाना न्याय संगत है।

अप्रार्थी–9 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि उपखण्ड अधिकारी औसियां के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में न्याय नहीं मिलने से उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरण किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थीपक्ष सं0 2 ता 8, 10, 11 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि विवादग्रस्त भूमि के वाद को लम्बित करने के उद्येश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पूर्व मे भी प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री चूनाराम विश्नोई तत्कालीन सहायक कलक्टर शेरगढ के विरूद्ध गलत तथ्यों पर मात्र मामले को लम्बित रखने के लिए स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र सं0 10/2014 प्रस्तुत किया गया जिस पर शीघ्र निस्तारण करने के लिए अप्रार्थीगण द्वारा कोई एतराज नहीं करने पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2014 के द्वारा विधि सम्मतः शीघ्र सुनवाई के लिए मामला सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां को स्थानान्तरित किया गया। बहस में आगे बतलाया कि पत्रावली में दिनांक 23.10.2019 से साक्ष्य हेतु विचाराधीन है तथा प्रार्थीपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के चार अवसर दिये गये, उसके पश्चात् भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बंद करने का आदेश देने पर प्रार्थीगण/वादीगण ने वाद को स्थानान्तरित करने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जो निरस्त किया गया। बहस में यह भी कहा कि जहां तक पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीक पेशियां देने की बात है, प्रकरण 10 वर्ष पुराना है तथा पुराने प्रकरणों को शीघ्र निपटाने का भी आदेश है। स्थानान्तरण करने का दूसरा कारण तहसील देचू के राजस्व प्रकरणों को सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी लोहावट न्यायालय को होना कहा, परन्तु यह प्रकरण इस न्यायालय के आदेश से सुनवाई के लिए स्थानान्तरित होने के कारण सहायक कलक्टर औसियां सुनने के लिए सक्षम है अतः वाद स्थानान्तरण करने के लिए प्रार्थना पत्र

लगातार....

21 में तथ्य प्रकट किये गये वो निराधार होने से निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में यह बतलाया कि प्रार्थीगण की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश होने पर दिनांक 05.01.2015 को न्यायालय को प्राप्त हुआ तथा वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 05.04.2015 को अदम पैरवी में खारिज किया गया तत्पश्चात् 14.09.2016 के प्रार्थना पत्र पर पुनः रेस्टोर की गई। वादीपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर देने के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर वादी साक्ष्य बंद की गई। यह तथ्य निर्विवाद है कि पूर्व में इस न्यायालय के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 10/2014 में दिये गये आदेश दिनांक 11.11. 2014 की पालना में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ न्यायालय से सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां न्यायालय को सुनने के लिए स्थानान्तरित की गई जो वर्तमान में विचाराधीन राजस्व वाद सं0 176/2015 सायरकंवर बनाम खेतसिंह वगैरा ही है। अतः सहायक कलक्टर औसियां विधिक प्रकिया के अधीन सुनवाई कर रहे है। प्रार्थीपक्ष ने देचू तहसील क्षेत्र के राजस्व प्रकरण नवसृजित उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा सुनवाई करने से यह प्रकरण भी वहां प्रेषित करने की मांग की गई जिसमें प्रकरण को मात्र लम्बित करने का उद्येश्य ही प्रकट होता है अतः प्रार्थीपक्ष का कथन मानने योग्य नहीं है। द्वितीयत् विवादग्रस्त भूमि को लेकर राजस्व प्रकरण काफी लम्बे समय से विचाराधीन है तथा पुराने प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करना आवश्यक है अतः पुराने प्रकरण को निस्तारण का प्रयास करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीक पेशियां देकर सुनवाई कर रहे है तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतः प्रार्थीपक्ष का यह कथन भी मानने योग्य नहीं है कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण की सुनवाई करने के नजदीक पेशियां देने से उसे न्याय मिलने की संभावना

लगातार...

25.01.21	नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित पीठासीन अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	